

राजस्थान सरकार  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/मरम्मत प.अ.का आबूरोड/2019-20/ <sup>95794-05</sup> दि 24.10.2020

उपायुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
आबूरोड़ ।

विषय- कार्यालय, उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड़ में अतिरिक्त निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।  
प्रसंग- आपका पत्रांक 798-99 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से कार्यालय, उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड़ से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में निम्नानुसार कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 4.33 लाख जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया जाता है ।

क्र.सं.	नाम	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	राशि (लाख रु.में)
1.	कार्यालय परिसर में समतलीकरण एवं मेन गेट से कार्यालय भवन तक सड़क निर्माण कार्य	APO स्वच्छ आबू/1/21.10.2020	4.33

उपरोक्त कार्य हेतु राशि की व्यवस्था पृथक से की जायेगी।  
**कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तों के अधीन कराया जावे।**

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित किया जावे। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।**
- कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
- स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकनीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित किया जावे व आयुक्तालय को प्रेषित करें।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS  
आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ-5/अभि./सीटीएडी/मरम्मत प.अ.का आबूरोड/2019-20/ <sup>85794-05</sup> दि. 24.10.2022  
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, राज. जयपुर।
3. निदेशक, स्वच्छ परियोजना, बडी रोड, उदयपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, बडी रोड, उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, आबूरोड जिला सिरौही।
6. लेखा शाखा/मोनिटरिंग/कम्प्युटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. गार्ड पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)